

सं०सं०-3/पेन-01-22/2026

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,  
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,  
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक:

विषय— डा० श्यामा राय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि० दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि० (2) दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 408(25) दिनांक 11.03.2026 के आलोक में डा० श्यामा राय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि लंबित अंकेक्षण/निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 107/2025-26 के निष्पादन के क्रम में कोई वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा० श्यामा राय से की जाएगी ।

3. डा० श्यामा राय की सेवा निवृत्ति की तिथि 30.04.2026 है ।

4. डा० श्यामा राय द्वारा दिनांक 08.07.2024 के उपरान्त उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं किया गया है ।

5. अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय ।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

( विनोद कुमार पाठक )

ज्ञापांक:

378 (3)

/स्वा०, पटना, दिनांक 30/4/26

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा० श्यामा राय, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना, पत्राचार का पता-शशी निवास, मिर्जापुर लादनपार, नवादा, जिला-नवादा, पिन-805110, मो०नं०-9771176990 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

W. M. K. S. 20/4/26  
सरकार के उप सचिव